REGD. NO. D. L.-33004/99



असाधारण

EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 518]	नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 10, 2015/फाल्गुन 19, 1936
No. 518]	NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 10, 2015/PHALGUNA 19, 1936

## सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2015

**का.आ**. **698(अ).–**केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त

अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को तत्संबंधी तदनुरूप स्तम्भ (2) में यथा-विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है ।

राजमार्गों, जिन्हें अब इस अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना है, को तालिका के स्तम्भ (1), (2) और (3) में यथा-निर्दिष्ट क्रमश: नई क्रम संख्याओं, नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विवरण के साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची में अंत:स्थापित किया गया समझा जाएगा ।

तालिका			
क्र. सं.	नई राष्ट्रीय	राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण	
	राजमार्ग संख्या		
(1)	(2)	(3)	
309	727ए	उत्तर प्रदेश राज्य में रारा-27 के साथ गोरखपुर में अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर देवरिया,	
		सलेमपुर को जोड़ते हुए और बिहार राज्य में मैरवा के निकट रारा-227ए पर अपने जंक्शन के	
		साथ समाप्त होने वाला राजमार्ग ।	
310	227ए	उत्तर प्रदेश राज्य में रारा-27 के साथ अयोध्या में अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर छावनी,	
		कलवारी, बड़हलगंज और बरहज को जोड़ते हुए, सीवान और बिहार राज्य में चकिया के निकट	
		रारा-27 पर अपने जंक्शन के साथ समाप्त होने वाला राजमार्ग ।	
311	731ए	उत्तर प्रदेश राज्य में प्रतापगढ़ के निकट रारा-31 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर जेठवाड़ा,	
		श्रंगवेरपुर, मंझनपुर, राजापुर को जोड़ते हुए और चित्रकूट के निकट रारा-35 पर अपने जंक्शन	
		के साथ समाप्त होने वाला राजमार्ग ।	
312	<u>3</u> 30बी	उत्तर प्रदेश राज्य में गोंडा के निकट रारा-330 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर और	
		जरवाल के निकट रारा-927 पर अपने जंक्शन के साथ समाप्त होने वाला राजमार्ग ।	

[फा. सं. एनएच-14012/3/2015-पीएंडएम]

माया प्रकाश, निदेशक (पी एंड बी)

1128 GI/2015

**पाद टिप्पण**: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और इसकी अनुसूची, भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एसआरओ 1180 तारीख 4 अप्रैल, 1957 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे अधिसूचना संख्या का.आ. 689(अ)**,** तारीख 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और पिछली बार संशोधन अधिसूचना संख्या का.आ. 132(अ) तारीख 12 जनवरी, 2015 द्वारा किया गया था।

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 10th March, 2015

**S.O. 698(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby declares each of the highways specified in the column (3) of the Table below to be a national highway, as specified in the corresponding column (2) thereof.

The highways, now declared to be national highways by this notification, shall be deemed to be inserted in the Schedule to the said Act with the new serial numbers, the new national highways numbers and the description of the national highways thereof, as indicated in columns (1), (2) and (3) respectively, of the Table.

Serial No.	New	Description of National Highways
	National	
	Highway	
1	No.	
(1)	(2)	(3)
309	727A	The highway starting from its junction with NH 27 at Gorakhpur connecting Deoria, Salempur in the State of Uttar Pradesh and terminating at its junction with NH 227A near Mairwa in the State of Bihar.
310	227A	The highway starting from its junction with NH 27 at Ayodhya connecting Chhawni, Kalwari, Barhalganj and Barhaj in the State of Uttar Pradesh, Siwan and terminating at its junction with NH 27 near Chakia in the State of Bihar.
311	731A	The highway starting from its junction with NH 31 near Pratapgarh connecting Jethwara, Shrangverpur, Manjhanpur, Rajapur and terminating at its junction with NH 35 near Chitrakoot in the State of Uttar Pradesh.
312	330B	The highway starting from its junction with NH 330 near Gonda and terminating at its junction with NH 927 near Jarwal in the State of Uttar Pradesh.

TABLE

[F. No. NH-14012/3/2015-P&M]

MAYA PRAKASH, Director (P&B)

**Footnote:**—-The National Highways Act, 1956 (48 of 1956) and the Schedule thereto was published in the Gazette of India *vide* notification number S.R.O. 1180 dated 4th April, 1957 and was substituted *vide* notification number S.O. 689(E), dated 4th April, 2011 and last amended *vide* notification number S.O. 132(E), dated 12th January, 2015.